

बिहार सरकार
बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति - 2007
संकल्प

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि अर्जन करती रही है। अर्जित की जा रही भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है।

सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत देय सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधा देने का निर्णय लिया है :-

1. भूमि का मूल्य निर्धारण

- 1.1 वर्तमान प्रावधान के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भू-अर्जन हेतु धारा 4 की अधिसूचना के तुरन्त पहले समरूप भूमि के निबन्धन मूल्य के आधार पर किया जाता है। सरकार का निर्णय है कि इस मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य तय किया जायेगा।
- 1.2 इस तरह निर्धारित मूल्य पर 30 प्रतिशत सोलेशियम देकर भू-अर्जन किया जायेगा। लेकिन जहाँ भूधारी स्वेच्छा से भूमि देना चाहे, उस स्थिति में सोलेशियम की दर 60 प्रतिशत होगी।

उदाहरण:-

i.) नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रक्रिया :-

भूमि का दर 1.00 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रुपये एवं 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 30 हजार रुपये, कुल 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रुपये) देय था।

ii.) नई नीति लागू होने के पश्चात् दर का निर्धारण :-

(क.) सामान्य प्रक्रिया :-

भूमि का दर 1.00 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रुपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ी जाएगी यानि अब कुल राशि 1,50,000/- रुपये होगा। सामान्य स्थिति में 1,50,000/- रुपये पर 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 45 हजार रुपये, कुल 1,95,000/- (एक लाख पंचानवे हजार रुपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहाँ 1,30,000/- रुपये की राशि देय होती, अब 1,95,000/- रुपये की राशि देय होगी।

(ख.) स्वेच्छा से भूमि देने पर :-

भूमि का दर 1.00 लाख रुपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रुपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ दी जाएगी, यानि अब कुल राशि 1,50,000/- रुपये होगा। भूधारी द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने पर 1,50,000/- रुपये पर 60 प्रतिशत सोलेशियम यानि 90,000/- हजार रुपये, कुल 2,40,000/- (दो लाख चालिस हजार रुपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहाँ 1,30,000/- रुपये की राशि देय होती, अब स्वेच्छा से भूमि देने की स्थिति में 2,40,000/- रुपये देय होगा।


2. आवासीय भूमि का अधिग्रहण देयता

- 2.1 भू-अर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि किसी भूधारी का आवास या आवासीय भूमि अधिग्रहित किया जाता है तो आवासीय भूमि का जितना रकवा अधिग्रहित किया जाता है, उतनी ही भूमि, अधिकतम 5 डि० आवासीय उद्देश्य हेतु अधिग्रहित कर उस व्यक्ति को दी जायेगी।
- 2.2 अस्थायी आवास हेतु सहायता :- प्रत्येक भूधारी जिसकी आवासीय भूमि अधिग्रहित की गयी हो, को अस्थायी आवास हेतु 10,000/- (दस हजार रुपये) एकमुश्त सहायता स्वरूप दी जायेगी।
- 2.3 परिवहन सहायता :- जिस भूधारी का आवासीय स्थल अधिग्रहित किया गया है उसे मो० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) अपने आवासीय सामग्रियों के परिवहन हेतु सहायता स्वरूप दिया जाएगा।

3. **विस्थापित कृषक मजदूर को देयता :-**
- 3.1 विस्थापित कृषक मजदूर जो दूसरे भूधारी के कृषि योग्य भूमि जिसका अधिग्रहण किया गया है, पर विगत कम से कम 3 वर्षों से कार्य कर जीविका चलाते थे और बेरोजगार हो गये उन्हें 200 दिनों का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एकमुश्त एवं राष्ट्रीय/राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड देय होगा।
4. **भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वारा देय राशि :-**
- 4.1 भू-अर्जन अधिनियम के तहत देय राशि के अतिरिक्त पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभों पर होने वाला समस्त व्यय का वहन संबंधित अधियाची प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा। यह राशि अधियाची प्राधिकार समाहर्ता की मांग पर उन्हें उपलब्ध करायेगा।
- 4.2 अधियाची प्राधिकार भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देय स्थापना खर्च के अतिरिक्त परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य का 0.5 प्रतिशत राशि, जो अधिकतम 2 लाख रुपये होगा, पुनर्वास सर्वेक्षण, अनुश्रवण, Stationary, POL, एवं अन्य आकस्मिक खर्च यथा वाहन, Computer, Computer Operator, Amin, Draftsman, Chainman इत्यादि के Outsourcing हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समाहर्ता -सह-प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपलब्ध करायेगा। समाहर्ता इस राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखेंगे एवं बचत खाता से प्राप्त होने वाले ब्याज को भी आकस्मिकता के मद में खर्च कर सकेंगे। बचत खाता समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के संयुक्त नाम से होगा और संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जायेगी।
5. उपरोक्त प्रावधान भू-अर्जन के ऐसे सभी मामलों में भी लागू होंगे जिन मामलों में धारा 11 के अन्तर्गत पंचाट घोषित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन का आकलन करेगी और आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

आदेश :- एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए इसकी प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

 (बी.बी. श्रीवास्तव)
 भूमि सुधार आयुक्त
 -सह-
 आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापक : 15/डी. एल. ए. नीति (पुनर्वास) 07/06 - 395/रा0

दिनांक - 19.2.07

प्रतिलिपि:-

अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुसंध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ भेज दी जाय।


 भूमि सुधार आयुक्त
 -सह-
 आयुक्त एवं सचिव

125

ज्ञापक : 15/डी. एल. ए. नीति (पुनर्वास) 07/06 - 395/रा0

दिनांक - 19.2.07

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागीय सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्षों बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आप्त सचिव, मा0 मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/निदेशक, विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर उनके क्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधिकांश विभाग के पदाधिकारियों को दे दी जाय।

7. उप सचिव-सह-प्रमारी, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना।

भूमि सुधार आयुक्त
-सह-
आयुक्त एवं सचिव